

21/10/22

पत्रावली पैश हुई। कुलाय उप।

मूल वाद खारिज हो चुका है। अतः T.I. प्रार्थना

पत्र चलने योग्य नहीं होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम है।

उपखण्ड अधिकारी  
बाली, जिला-पाली (राज.)